

F.No. 22-1/2019-IA.III
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi - 110003

Dated: 12th March, 2020

To,
Chairperson/Member Secretaries of all the SEIAAs/SEACs

Subject: Grant of standard Terms of Reference (ToR) in respect of expansion proposals and projects located within notified Industrial Estates on acceptance of application in Form-1, within 7 working days, without referring to EAC or SEAC by the Ministry or SEIAA, as the case may be - **regarding.**

This is to inform that the Ministry has issued an amendment to the EIA Notification, 2006 vide notification number S.O. 751(E) dated the 17th February, 2020 regarding grant of standard Terms of Reference (ToR) in respect of expansion proposals and projects located within notified Industrial Estates (copy enclosed).

2. All the officers of IA Division in the Ministry and SEIAA/SEAC shall implement the provisions of said notification accordingly.



(Sharath Kumar Pallerla)
Scientist 'F'
IA (Policy)

Encl: Copy of S.O. 751(E) dated the 17th February, 2020

Copy to:

1. PS to Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change
2. PS to Hon'ble MoS (EF&CC)
3. PPS to Secretary(EF&CC)
4. PPS to AS (RSP)/AS(RA)
5. PPS to JS (GM)/JS(SKB)/JS(AKN)
6. Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB).

7. Chairman of all the Expert Appraisal Committees
8. All the Officers of I.A. Division
9. Chairpersons/Member Secretaries of all SPCBs/UTPCCs
10. Guard file.
11. Website, MoEF&CC


(Sharath Kumar Pallerla)
Scientist 'F', IA Policy



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216265
CG-DL-E-19022020-216265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]
No. 686]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2020/माघ 29, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020/MAGHA 29, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 751(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है ;

और, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया, जिसमें चार चरण अंतर्बलित हैं, अर्थात् छटनी करना, विस्तारण, लोक राय और अंकन । विस्तारण, परियोजना या क्रियाकलाप के लिए, जिसे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति कहा गया है, के संबंध में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरणीय प्रबंध रिपोर्ट को तैयार करने के लिए संबंधी इंगित सभी सुसंगत पर्यावरणीय व्यौरे और व्यापक विचारार्थ विषयों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीओआर कहा गया है) विनिश्चित करने की प्रक्रिया है ;

और, विस्तारण की प्रक्रिया को सहज बनाने और एक मानक प्रचालन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तावों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 39 परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानक विचारार्थ विषय तैयार किए हैं ;

और, ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति मानक टीओआर को उपांतरित कर सकती है और प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल और हरित स्थल परियोजनाओं और क्रियाकलापों के संबंध में विशिष्ट अपेक्षा परियोजनाओं की परीक्षा के आधार पर अतिरिक्त टीओआर को विहित कर सकती है ;

और, विस्तारित प्रस्तावों और अधिसूचित औद्योगिक संपदा के भीतर स्थित परियोजना के संबंध में, जिसमें वैकल्पिक स्थलों की जांच अंतर्बलित नहीं है, मानक विचारार्थ विषयों को प्राप्त करने की प्रदान करने की प्रक्रिया को समीचीन करने के लिए, मंत्रालय विनियामक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 1 में प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात् एक आनलाइन मानक विचारार्थ

विषय के प्रचालन के विचार को शुरू करने का प्रस्ताव करता है, जिसे परियोजना प्रस्तावक को मंत्रालय द्वारा विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से स्वतः जारी किया जाएगा ;

और, प्रारूप अधिसूचना ईआईए अधिसूचना, 2006 का और संशोधन करने के लिए, का.आ. सं. 4085(अ), तारीख 11 नवंबर, 2019 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसकी उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 13 नवंबर, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, कोई आक्षेप या सुझाव उपर्युक्त उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त नहीं किए गए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 7 के उप पैरा 7(i) में उपशीर्ष II चरण (2)-विस्तारण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"II. चरण (2)-विस्तारण :

- (i) "विस्तारण" का अर्थ परियोजना अथवा कार्यकलाप, जिसके लिए पर्यावरणीय पूर्वानुमति मांगी जाती है, के संबंध में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण/पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सभी संबंधित पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करने वाले विस्तृत और व्यापक विचारार्थ विषय का निर्धारण करने की प्रक्रिया है ।
- (ii) अनुसूची की श्रेणी "ख2" के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए विस्तारण अपेक्षित नहीं होगा ।
- (iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विकसित क्षेत्र विशिष्ट मानक विचारार्थ विषयों को इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ;
- (iv) आवेदन की स्वीकृति पर सात कार्य दिवस के अंदर, मानक विचारार्थ विषय मंत्रालय द्वारा ईएसी/एसईएसी, जैसा भी मामला हो, को संदर्भित किए बिना निम्नलिखित परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए ऑनलाइन रीति के माध्यम से जारी होंगे:
 - (क) अनुसूची की मद 7(च) के सामने कॉलम (3) और (4) की प्रविष्टि (i) और (ii) के अंतर्गत शामिल सीमावर्ती राज्यों में सभी राजमार्ग परियोजनाएं ;
 - (ख) संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं अथवा उद्यानों (अनुसूची की मद 7(ग)) में स्थित प्रस्तावित सभी परियोजनाएं अथवा कार्यकलाप और जिनके लिए ऐसे अनुमोदनों की अनुमति नहीं है ;
 - (ग) विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार के सभी प्रस्ताव, जिन्हें पूर्व में पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त हो ।

परंतु यह कि ईएसी या एसईएसी आवेदन की स्वीकृति से 30 दिनों के अंदर परियोजना या कार्यकलाप के लिए मानक टीओआर के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट विचारार्थ विषय की सिफारिश कर सकती है ।

- (v) मानक टीओआर के अतिरिक्त, विशिष्ट विचारार्थ विषय की सिफारिश करने के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (4) में विनिर्दिष्ट के अलावा सभी नई परियोजनाएं और कार्यकलाप विनियामक प्राधिकारी द्वारा ईएसी या एसईएसी को, जैसा भी मामला हो संदर्भित किए जाएंगे । यदि विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र-1 में आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर ईएसी/एसईएसी को संदर्भित नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के अंदर क्षेत्र विशिष्ट मानक टीओआर को ऑनलाइन जारी किया जाएगा ।
- (vi) विचारार्थ विषय के लिए आवेदनों को संबंधित ईएसी या एसईएसी की सिफारिशों पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है । ऐसी अस्वीकृति के मामले में, समुचित व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् इसके लिए कारणों सहित निर्णय की सूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर लिखित में दी जाएगी ।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र विशिष्ट मानक टीओआर के साथ-साथ ईएसी/एसईएसी द्वारा अनुबंधित अतिरिक्त विशिष्ट टीओआर, यदि कोई हो, के आधार पर ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

(viii) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए जारी बिचारार्थ विषय की वैधता जारी होने के तारीख से चार वर्षों की होगी। नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं की वैधता पांच वर्षों की होगी।

[फा. सं. 22-1/2019-आईए. III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ.सं.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित सं. द्वारा संशोधित की गई :-

1. का.आ. 1949(अ) तारीख 13 नवंबर, 2006 ;
2. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2007 ;
3. का.आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ) तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ) तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ) तारीख 09 सितंबर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून, 2014 ;
15. का.आ. 2601(अ) तारीख 07 अक्टूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ) तारीख 09 अक्टूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
21. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ) तारीख 06 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ) तारीख 31 अगस्त, 2015 ;
25. का.आ. 2572(अ) तारीख 14 सितंबर, 2015 ;
26. का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 ;
27. का.आ. 648(अ) तारीख 03 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 01 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ) तारीख 14 सितंबर, 2016 ;
30. का.आ. 3518(अ) तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ) तारीख 09 दिसंबर, 2016 ;
32. का.आ. 4241(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2016 ;
33. का.आ. 3611(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018 ;
34. का.आ. 3977(अ) तारीख 14 अगस्त, 2018 ;
35. का.आ. 5733(अ) तारीख 14 नवंबर, 2018 ;

36. का.आ. 5736(अ) तारीख 15 नवंबर, 2018 ;
37. का.आ. 5845(अ) तारीख 26 नवंबर, 2018 ;
38. का.आ. 345(अ) तारीख 17 जनवरी, 2019 ;
39. का.आ. 1960(अ) तारीख 13 जून, 2019 ; और
40. का.आ. 236(अ) तारीख 16 जनवरी, 2020 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2020

S.O. 751(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating Prior Environmental Clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS, the Prior Environmental Clearance process involves four stages namely, screening; scoping; public consultation; and appraisal. The scoping is the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (hereinafter referred to as ToR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environmental Impact Assessment and Environment Management Report in respect of the project or activity for which Prior Environmental Clearance is sought;

AND WHEREAS, in order to streamline the process of scoping and bring the uniformity across the proposals, as a standard operating procedure, the Ministry has developed sector specific Standard Terms of References for all 39 class of projects or activities listed in the Schedule to the EIA Notification, 2006;

AND WHEREAS, the Expert Appraisal Committee constituted under the provisions of EIA Notification, 2006 can modify standard ToR and prescribe additional ToR based on examination of alternative sites proposed and the project specific requirements in respect of green field projects or activities;

AND WHEREAS, to expedite the process of granting standard Terms of Reference (ToR) in respect of expansion proposals and projects located within notified Industrial Estates, where there is no examination of alternative sites involved, the Ministry proposes to introduce the concept of issuance of an online Standard Terms of Reference (ToR) after acceptance of the proposal in Form-1 by the Regulatory Authority, automatically through the web portal developed by the Ministry to the Project Proponent;

AND WHEREAS, a draft notification further to amend the EIA Notification, 2006 was published in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* number S.O. 4085 (E), dated the 11th November, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said notification were made available to the public on 13th November, 2019;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received in response to the above-mentioned draft notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification, in paragraph 7, in sub-paragraph 7(i), for sub-heading II Stage (2)-Scoping and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“II. Stage (2)-Scoping:

- (i) “Scoping” refers to the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (ToR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environmental Impact Assessment and Environment Management Report in respect of the project or activity for which Prior Environmental Clearance is sought.
- (ii) All projects or activities listed under Category “B2” of the schedule shall not require Scoping.
- (iii) Sector specific Standard Terms of References developed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time shall be displayed on its website.
- (iv) The Standard Terms of References shall be issued to the following projects or activities through online mode, on acceptance of application within 7 working days, without referring to EAC or SEAC by the Ministry or SEIAA, as the case may be:
 - (a) All Highway projects in Border States covered under entry (i) and (ii) of column (3) and (4) against item 7(f) of the Schedule;
 - (b) All projects or activities proposed to be located in industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals; and
 - (c) All expansion proposals of existing projects having earlier Prior Environmental Clearance:

Provided that EAC or SEAC may recommend additional specific Terms of Reference in addition to the Standard ToR, if found necessary, for a project or activity, within 30 days from the date of acceptance of application.

- (v) All new projects or activities other than specified in sub-paragraph (iv) above, shall be referred to the EAC or SEAC by the Regulatory Authority, as the case may be, within 30 days from the date of application, for recommending the specific ToR in addition to the Standard ToR, deemed necessary. In case, the regulatory authority does not refer the matter to the EAC or SEAC, as the case may be, within 30 days of date of application in Form-I, sector specific Standard ToR shall be issued, online, on 30th day, by the Regulatory Authority.
- (vi) Applications for Terms of Reference may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same after due personal hearing shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.
- (vii) The project proponent shall prepare the EIA report based on the sector specific Standard ToR as well as additional specific ToR, if any, stipulated by the EAC or SEAC.
- (viii) The Terms of Reference for the projects or activities except for River valley and Hydro-electric projects, issued by the regulatory authority concerned, shall have the validity of four years from the date of issue. In case of the River valley and Hydro-electric projects, the validity will be for five years.

[F. No. 22-1/2019-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;

5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November, 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E) dated the 13th June, 2019; and
40. S.O. 236(E) dated the 16th January, 2020.